न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 02/2022

1 श्रीमती सावित्री देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति सुनार निवासी हांसलसर तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार गुढ़गौड़जी जिला झुंझुनू।
2 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 रामधन मीणा पुत्र श्री भागुराम उम्र 64 वर्ष जाति मीणा निवासी हांसलसर तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 अपील बखिलाफ निर्णय/आदेश दिनांक 03.08.22 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पत्रावली कमांक राजस्व/2022/3014–3020 बाबत खसरा नम्बर 2072/760 रकबा 0.2448 हैक्टेयर में से 900 वर्गमीटर ग्राम हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

दिनांकः— 30-8-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 3014—3020 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय द्वारा भूमि खसरा नम्बर 2072/760 रकबा 0.2448 किस्म बारानी तीन में से 900 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ समपरिवर्तन आदेश क्रमांक 3/2022 दिनांक 08.04.2022 से अपीलांट के पक्ष में किया गया है। समपरिवर्तित भूमि के नवीन खसरा नम्बर 2090/2072 कायम किये गये। विचारण न्यायालय ने अपने पुनरावलोकन आदेश दिनांक 03.08.2022 से पूर्व के आदेश दिनांक 08. 04.2022 को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 08.04.2022 को समपरिवर्तन आदेश पारित किया गया था। इसके उपरान्त बिना किसी उचित कारण के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क पर अतिक्रमण का अंकन कर समपरिवर्तन आदेश अपास्त करवाया है। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 75ख के प्रावधानों के अनुसार विचाराधीन आदेश की अपील इस न्यायालय में पोषणीय है। अत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की मानते हुये स्थगन जारी किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2010 पेज 703 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश न्यायिक आदेश नही होकर प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश की अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 75—76 अथवा राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम की धारा 223,225 के तहत इस न्यायालय में पोषणीय नही है। विधि अनुसार ऐसे आवेदनों की निगरानी पोषणीय होती है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 व 84ए के तहत माननीय राजस्व मण्डल में पोषणीय है। अत अपीलांट की अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. (रेव.) पेज 448 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन आदेश न्यायिक आदेश नही होकर प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश की अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75–76 अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223,225 के तहत इस न्यायालय में पोषणीय नही है। विधि अनुसार ऐसे आवेदनों की निगरानी पोषणीय होती है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 व 84ए के तहत माननीय राजस्व मण्डल में पोषणीय है।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. (रेव.) पेज 448 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि " Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Secs.84&84A- Non petitioner No. 1 Filed the appeal against the conversion order – petitioner raised objections but no speaking order was passed and granted stay against the order- Non petitioner not filed any application under Sec. 96 C.P.C – conversion order is an admisistrative order and no appeal is maintainable against the order – conversion order is revisable – Held, Appeal is dismissed being not maintainable.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार की नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.6.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर